(2000/RV/RK)

2000 बजे

पोत परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनसुख एल. मांडविया): सर, आज के इस बिल पर डॉ. भारतीबेन, श्री श्रीकृष्णा देवरायालू, श्री अनुभव मोहंती, श्री कौशलेन्द्र कुमार, श्री रविन्द्रनाथ कुमार, श्रीमती दर्शना जरदोश और अन्त में गोपाल शेट्टी जी ने अपने विषय रखे।

माननीय अध्यक्ष जी, अन्त में, गोपाल शेट्टी जी ने जो कहा, इस बिल को लाने का यह भी एक उद्देश्य है कि पोर्ट में ट्रांसपैरेंसी हो, पोर्ट अपनी ओर से डेवलप हो सके, पोर्ट एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सके। पोर्ट के संचालन में सरकार का भी कम से कम रोल और कम से कम भूमिका हो। पोर्ट के बोर्ड ही स्वयं निर्णय ले सकें। गोपाल शेट्टी जी ने सही कहा कि पोर्ट के असेट्स पर जो पंजा था, उस पंजे की वजह से पोर्ट में ऐसे स्थानीय लोग, जिनका उसमें इंटेरेस्ट हो, उन स्थानीय लोगों को बल मिल जाता था। भविष्य में ऐसे लोगों का उस पर पंजा न पड़े, ऐसा प्रावधान मैं इस बिल में लेकर आया हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, इस बिल में कुल मिलाकर पोर्ट सेक्टर में समय के साथ बदलाव होना आवश्यक है। सभी सेक्टर में बदलाव हो। समय के साथ नई टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, नए सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन किया जाए क्योंकि देश में 70 प्रतिशत कार्गो 'बाई-वॉल्यूम' पोर्ट से ही आता है, 95 प्रतिशत 'बाई-वैल्यूज़' कार्गो भी पोर्ट से ही आते हैं। इसलिए पोर्ट विकास का एक द्वार बन सकता है। मोदी जी ने सही कहा था - 'नॉट ओनली फॉर पोर्ट, बट पोर्ट-लेड डेवलपमेंट।' पोर्ट का भी विकास करना है और पोर्ट विकास का द्वार बन सकता है। इसे इतिहास साबित करता है कि जहां-जहां पर भी पोर्ट्स थे, वे शहर आज के समय में भी ज्यादा विकसित दिखाई दे रहे हैं। लेकिन, आज के दिन में जो पोर्ट्स चल रहे थे, वे मेजर पोर्ट्स एक्ट, 1963 के तहत चल रहे थे। पचास साल पहले यह एक्ट बना था। उस समय स्थिति अलग थी। आज की स्थिति बदली हुई है। उस वक्त लैंडलॉर्ड मॉडल नहीं था, पी.पी.पी. मॉडल नहीं था और सारे पोर्ट्स सर्विस मॉडल पर चल रहे थे। पोर्ट में भर्ती पोर्ट के लोग ही करते थे, पोर्ट का संचालन भी पोर्ट के लोग ही करते थे और पोर्ट का मैनेजमेंट भी पोर्ट के लोग ही करते थे। इस प्रकार, सभी चीजें पोर्ट के लोग ही करते थे और उसमें ही उनकी सारी शक्तियों का व्यय होता था। इसलिए डेवलपमेंट की तरफ जो उसकी दिशा जानी चाहिए थी, वह कम हो गई थी। उसे देखते हुए वर्ष 1995 के बाद पी.पी.पी. मॉडल आया। कुल मिलाकर, मेरे पास पोर्ट में 252 बर्थ हैं। उनमें से 70 बर्थ ऐसे हैं, जो कैप्टिव हैं या वे पी.पी.पी. मॉडल पर चल रहे हैं। ऐसे बर्थ में जब प्राइवेट पार्टनर्स आते हैं तो वे टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं, बिजनेस लेकर आते हैं। वह वहां सारी व्यवस्था खड़ी करता है और अपना सारा बिजनेस और कारोबार वहां चलाता है। जब प्राइवेट प्लेयर्स आते हैं और उनके साथ कंसेसन एग्रीमेंट्स होते हैं तो कई बार ऐसा भी आता है कि जब कोई बिजनेस पार्टनरशिप में चलता है तो उसमें डिस्प्यूट्स भी खड़े हो जाते हैं। उन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने की व्यवस्था पहले वाले बिल में नहीं थी। अगर कोई डिस्प्यूट होता

है तो उसे कैसे सॉल्व करें, इसके लिए हम इस बिल में प्रावधान लाये हैं, जिससे कि भविष्य में हम पोर्ट्स को अच्छी तरह से चला सकें।

सर, हर पोर्ट के पास लैंड है। वहां उसका उपयोग पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए हो सकता है। वहां पोर्ट-लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकता है। उसके लिए पोर्ट का उपयोग करना आवश्यक होता है।

सर, मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूं कि आज अफ्रीका से लकड़ी आती है। 70 प्रतिशत लकड़ी कांडला पोर्ट पर आती है। चीन में भी उसी अफ्रीका से लकड़ी जाती है। वहां उस लकड़ी से फर्निचर्स बनते हैं और सारी दुनिया फर्नीचर्स खरीदने के लिए चीन जाती है। क्या हम अपने देश में फर्नीचर्स पार्क नहीं बना सकते? कांडला पोर्ट पर भी उसी रूट से लकड़ी आती है। वहां के लोग ट्रैडीशनली वुड्स इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे हमारे सभी मेजर पोर्ट्स पर एक-एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करके 'वन पोर्ट वन इंडस्ट्री' के आधार पर उसे कैसे डेवलप कर सकेंगे? जब ऐसा करना है तो उसके लिए उसके पास कुछ स्वायत्तता होनी चाहिए। आज मेजर पोर्ट के साथ-साथ प्राइवेट पोर्ट्स भी आ गए हैं। नॉन-मेजर पोर्ट्स भी हैं और उनके बीच में कम्पीटिशन भी होता है। इसलिए उनके बीच हेल्दी कम्पीटिशन होना चाहिए। कई चीजें ऐसी हैं, जब किसी पोर्ट को डिसीजन लेना होता है, जैसे बगल में कोई दूसरा पोर्ट है, उसने टैरिफ कम कर दिया और सरकारी पोर्ट पर टैरिफ ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में उसे उसके लिए परमिशन लेने के लिए सरकार तक आना पड़ता है। जब उन्हें स्वयं डिसीजन लेकर टैरिफ को कम करना है तो वे टैरिफ कम नहीं कर सकते थे। इस बिल के माध्यम से हम पोर्ट को स्वायत्तता देना चाहते हैं।

(2005/MY/PS)

उस डिसीजन के आधार पर वे भी आगे बढ सकें। इसके लिए हम इस महापत्तन प्राधिकरण विधेयक के माध्यम से काम करने जा रहे है।

महोदय, जब मैं यह बिल लोक सभा में इंट्रोड्यूस कर रहा था, अभी प्रतिपक्ष के लोग यहाँ नहीं हैं, लेकिन उन्होंने एक चिंता जताई थी। उसके बारे में मैं सदन में स्पष्टीकरण कर देना चाहता हूँ कि आज हमारे पोर्ट्स में करीब एक लाख बारह हजार पेंशनर्स हैं। आज हमारे पोर्ट्स में कुल 28 हजार एम्प्लाईज हैं। उस वक्त एक बात कही गई थी कि इस बिल के आने से उनके हितों का नुकसान होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं लोक सभा के फ्लोर पर यह क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारे पोर्ट्स के बारे में ऐसी स्थिति नहीं है।

एक समय था, जब कोलकाता पोर्ट में 10 हजार पेंशनर्स थे। पाँच साल पहले जब वर्ष 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, उस वक्त कोलकाता से लोग दिल्ली आते थे। यहाँ पर आकर हमारे सामने वे लोग अपना विषय रखते थे कि हमारा पोर्ट बंद नहीं होना चाहिए, हमारा पोर्ट बंद हो रहा है, हमारा पोर्ट घाटे में हैं। लेकिन, विगत पाँच सालों में पोर्ट सेक्टर में जो काम किया गया है, उससे आज कोलकाता पोर्ट घाटे में नहीं है, बल्कि वह प्रॉफिट में है। कोलकाता पोर्ट के 10 हजार पेंशनर्स की पेंशन को एलआईसी में सुनिश्चित किया गया है। कुल पोर्ट्स को मिलाकर हमारे जो 28 हजार एम्प्लाईज हैं, उनके हितों का कोई नुकसान नहीं होगा। उनके पेंशन के संबंध में कोई भी चिंता

नहीं करनी चाहिए। हमारे एम्प्लाईज की तनख्वाह में कोई कमी नहीं की जाएगी। सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए, पोर्ट्स को स्वायत्ता देकर उनको काम्पीटीटिव बनाया जाएगा। इसके लिए मैं यह बिल लेकर आया हूँ। मैं अपेक्षा करता हूँ कि सदन उसको पारित करे।

(इति)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि भारत में महापत्तनों के विनियमन, प्रचालन और योजना के लिए तथा महापत्तन प्राधिकरणों के बोर्डों में ऐसे पत्तनों के प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंधन को निहित करने तथा उससे संबद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी।

माननीय सदस्यगण, इस विधेयक पर अनेक सदस्यों के संशोधन परिचालित किए गए हैं, लेकिन केवल श्री बी. महताब जी सभा में उपस्थित हैं, इसलिए केवल उन्हीं को संशोधन प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा, बाकियों के नाम नहीं बुलाए जाएंगे।

खण्ड 2

प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 3

माननीय अध्यक्ष: श्री भर्तृहरि महताब जी, क्या आप संशोधन संख्या 27 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Hon. Speaker, Sir, I may be allowed to move my Amendment No. 27. Along with the same, I have something to say in a limited time.

This Bill aims at reorienting the governance model in central ports to landlord port model in line with the successful global practice. The Bill was first introduced in the year 2016. The Standing Committee deliberated on it and gave a Report in the year 2017. An amended Bill was introduced in 2019 or first part

of 2019. The House was dissolved and again, in March, 2020, this Bill had been introduced. At the time of introduction, I had also raised certain issues, which have not been considered as yet.

The first Amendment that I want to propose before this Government, in this House, is that the composition of the Board of Major Port Authority -- constituted under Clause 3 of the Bill -- is heavily in favour of private persons. Besides, the States have been given very little representation in the Board.

Therefore, I am proposing that a Member of each House of Parliament should be represented on the Board from all the States which have major ports.

I beg to move:

Page 4, *after* line 20, -

insert "(g) one Member of each House of Parliament from the States that have a major port". (27)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री भर्तृहरि महताब द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 27 को सभा में मतदान के लिए रखता हूँ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

(2010/CP/SNB)

खंड 4

माननीय अध्यक्ष : श्री भर्तृहरि महताब जी**,** क्या आप संशोधन संख्या 28 प्रस्तुत करना चाहते हैं**?**

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): सर**,** विधेयक में है, two members representing the interest of the employees of the major Port Authority, यह लिखा है। हमने कहा जो पोर्ट में वर्क कर रहा है, उसी को मेंबर बनाया जाए। Not members representing the interest. मैं अमेंडमेंट मूव कर रहा हूं:

पृष्ठ 5, पंक्ति 1 और 2,-
"ऐसे व्यक्तियों और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए,"
के स्थान पर
"संघ सरकार में पोत परिवहन मंत्री और उस प्रत्येक राज्य जहां महापत्तन है, की सरकार द्वारा नामांकित एक मंत्री।"
प्रतिस्थापित करें। (28)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री भर्तृहरि महताब द्वारा खंड 4 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 28 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:
"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।
खंड 5 से 20 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 21

माननीय अध्यक्ष : श्री भर्तृहरि महताब जी, क्या आप संशोधन संख्या 29 और 30 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): सर, संशोधन संख्या 29 और 30 में बस एक करेक्शन हमने डिलीट करने के लिए कहा है, जिसमें without the previous sanction of the Central Government, ये दोनों लाइनें मैंने कहा है कि इनको डिलीट करिए। सीधा ट्रस्ट को इसकी पॉवर दी जाए। मैं अमेंडमेंट मूव कर रहा हूं।

पृष्ठ 9, पंक्ति 25,-
"केंद्रीय सरकार की पूर्वानुमति के बिना।"

का लोप करें (29)

पृष्ठ 9, पंक्ति 32,-
"केंद्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना।"

का लोप करें (30)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री भर्तृहरि महताब द्वारा खंड 21 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 29 और 30 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि खंड 21 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 21 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 22 से 76 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, अब आप प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए।

SHRI MANSUKH L. MANDAVIYA: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2015/NK/RU)

विदाई संबंधी उल्लेख

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सत्रहवीं लोकसभा का चौथा सत्र आज समाप्त हो रहा है। यह मानसून सत्र कई अर्थों में ऐतिहासिक रहा है। आप सभी माननीय सदस्यों ने कोरोना महामारी के खतरे के बावजूद अपने संवैधानिक कर्त्तव्यों को सर्वोपरि रखा और देर रात तक बैठकर विधायी कार्य किए। आपने पूरे सत्र के दौरान स्वास्थ्य संबंधी सभी प्रोटोकॉल्स का पूरी तरह से पालन किया है, इसके लिए मैं आप सभी को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूँ। आपके सक्रिय सहयोग और सकारात्मक भागीदारी के कारण ही इस सत्र में सदन ने कार्य-उत्पादकता के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। वैश्विक महामारी के दौरान भी इस सत्र में सदन की कार्य उत्पादकता 167 प्रतिशत रही है जो अन्य सत्रों की तुलना में अधिक है। इस उपलब्धि के लिए आप सभी माननीय सदस्य बधाई के पात्र हैं। वर्तमान परिस्थितियों के कारण इस बार सदन के साथ-साथ पूरे संसद भवन परिसर में संक्रमण से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए।

देश के संसदीय इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि माननीय सदस्यों ने संसद के दोनों सदनों (लोक सभा एवं राज्य सभा) के कक्षों और इनकी दीर्घाओं से सदन की कार्यवाही में हिस्सा लिया, जैसा कि आप सभी को विदित है कि मानसून सत्र 14 सितम्बर, 2020 को आरंभ हुआ। इस सत्र के दौरान, हमने 10 बैठकें की जो बिना किसी अवकाश के शनिवार और रविवार को भी आयोजित की गई। इन बैठकों के लिए निर्धारित कुल 37 घंटों की तुलना में कुल 60 घंटे की कार्यवाही संपन्न हुई। इस सत्र में महत्वपूर्ण विधायी और अन्य कार्यों का भी निपटान हुआ। सत्र के दौरान 68 प्रतिशत समय में विधायी कार्य किए गए, जबकि शेष 32 प्रतिशत में गैर-विधायी कार्य किए गए। वर्ष 2020-21 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों का पहला बैच और वर्ष 2016-17 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों पर चर्चा 4 घंटे 38 मिनट तक चली। तद्नुसार विनियोग विधेयक भी पारित किए गए। वर्तमान सत्र के दौरान, 16 सरकारी विधेयक पुरःस्थापित किए गए। कुल मिलाकर 10 बैठकों में 25 विधेयक पारित हुए। इन सभी विधेयकों पर चर्चा हुई। सदन में पारित हुए कुछ महत्वपूर्ण विधेयक थे, आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020, कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020, उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020.

इस सत्र के दौरान अतारांकित प्रश्न सभा पटल पर रखने की अनुमति दी गई। तदनुसार माननीय सदस्यों द्वारा पूछे गए 2300 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

इस सत्र में माननीय सदस्यों ने शून्य काल में 370 लोक महत्व के मामले उठाए। मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा कि 20 सितम्बर, 2020 को शून्य काल में देर रात तक बैठकर कुल 88 माननीय सदस्यों ने लोक महत्व के मुद्दे उठाए। सत्र में बैलट के अलावा 230 सदस्यों को भी अपने विषय उठाने का अवसर मिला।

माननीय सदस्यों द्वारा नियम 377 के अधीन लोक महत्व के 181 मामले भी उठाए गए। मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले मामलों पर मंत्रालय द्वारा शीघ्र उत्तर प्राप्त करने के लिए पहल की गई, जिसके परिणामस्वरूप पंद्रहवीं लोक सभा में जहां 77 प्रतिशत उत्तर प्राप्त होते थे, वहीं सत्रहवीं लोक सभा में 98.34 प्रतिशत उत्तर मंत्रालयों से माननीय सदस्यों को प्राप्त हुए हैं। मेरा यह निरंतर प्रयास रहा है कि माननीय सदस्यों को मंत्रालयों से एक माह की निर्धारित अवधि के अंदर उत्तर प्राप्त हो सकें। माननीय मंत्रियों द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर 40 वक्तव्य दिए गए। इसमें कोविड-19 महामारी, कृषि क्षेत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा लद्दाख सीमा के पास घटित हो रहे घटनाक्रम पर संबंधित मंत्रियों द्वारा वक्तव्य शामिल हैं। इस सत्र के दौरान, संबंधित मंत्रियों ने कुल 855 पत्र सभा पटल पर रखे। सभा में देश में कोविड-19 वैश्विक महामारी के संबंध में नियम 193 के अंतर्गत एक अल्पकालिक चर्चा भी की गई जो 5 घंटे और 8 मिनट तक चली। चर्चा संबंधित मंत्री के उत्तर के साथ समाप्त हुई। इस सत्र में, विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कराने और विधायी कार्य संपन्न करने के लिए सभा की कार्यवाही निर्धारित समय के अतिरिक्त 23 घंटे से अधिक देर तक चली।

मैं माननीय उपराष्ट्रपति जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ जिनके निरंतर सहयोग और मार्गदर्शन से सभा का आयोजन सफलतापूर्वक करने में सहायता मिली। मैं सभा की कार्यवाही को पूरा करने में सभापति तालिका में शामिल मेरे माननीय सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री, विभिन्न दलों के नेताओं और लोक सभा एवं राज्य सभा के सभी माननीय सदस्यों के प्रति भी सहयोग के लिए अत्यधिक कृतज्ञ हूँ।

मैं सदन की ओर से प्रेस और मीडिया के मित्रों का भी धन्यवाद करता हूँ। मैं सभा को प्रदान की गई समर्पित और त्वरित सेवाओं के लिए एन.आई.सी., लोक सभा टीवी, राज्य सभा टीवी, लोक सभा और राज्य सभा के महासचिव और लोक सभा और राज्य सभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूँ। सत्र के सुचारू रूप से आयोजन के लिए दोनों सचिवालयों के बीच कई दौर की बैठकें हुईं।

(2020/SK/NKL)

उनके लिए हमने प्रयास किया कि सुरक्षा के अपेक्षित परिणाम आएं।

संसद भवन को संक्रमण मुक्त रखने में सहयोग करने एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मैं संबंधित मंत्रालयों, विभागों और अन्य एजेंसियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं।

मैं सभा की कार्यवाही के संचालन में संबद्ध एजेंसियों को उनके द्वारा दी गई सहायता के लिए भी धन्यवाद देता हूं।

माननीय सदस्यगण, कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं क्योंकि अब "वन्दे मातरम्" की धुन बजाई जाएगी।

(राष्ट्रीय गीत की धुन बजाई गई)

माननीय अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।

2021 बजे

तत्पश्चात लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।